फरक्का में गंगा जल के बटवारे पर भारत और बंगला देश की सरकारों के बीच समझौते के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. AGREEMENT BETWEEN GOVT. OF INDIA AND BANGLADESH ON SHARING OF GANGA WATERS AT FARAKKA

प्रधानमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : इस सदन के माननीय सदस्यों को अखबारों से ज्ञात हुआ होगा कि भारत और बंगला देश के बीच फरक्का पर गंगा के पानी के बटवारे और उसके प्रवाह को संवर्धित करने के विषय में एक करार पर 5 नवम्बर, 1977 को ढाका में मंत्रि-स्तर पर हस्ताक्षर किये गए। मैं सदन के सभा पटल पर इस करार की एक प्रति रख रहा हूं जो बंगला देश सरकार के साथ हुए समझौते के अनुसार हस्ताक्षर होने के बाद जारी किया गया है। सदन से इस सुदीर्घ वक्तव्य के लिए भी मैं उदारता की याचना कर रहा हूं। वार्ता के दौरान इस करार में निहित समस्याओं की जटिलता और महत्व के अतिरिक्त मुझे इस वक्तव्य में उन आलोचनाओं पर भी कुछ कहना है जो इस करार के बारे में की गई और परिणामस्वरूप यह आवश्यक हो गया है कि स्थिति को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में तथा निहित तथ्यों के आधार पर स्पष्ट किया जाय।

इस करार की ऐतिहासिक प्रकृति तथा भारत और बंगलादेश के आपसी संबंधों के लिए और इस उप महाद्वीप की राजनीति के लिए इसका असाधारण महत्व विदेशों में प्रायः सभी जगह स्वीकार किया गया है। और भारत में भी जनमत के अधिकांश वर्गों ने इसे स्वीकार किया है। इस करार पर हस्ताक्षर हो जाने तथा तत्काल इसके लागू होने से एक ऐसी बड़ी समस्या का समाधान हो गया है जिसने कि दोनों देशों के आपसी संबंधों को बिगाड़ रखा था तथा जिसने इस उपमहाद्वीप में विगत 25 वर्षों से राजनीतिक वातावरण को दूषित कर रखा था।

माननीय सदस्यगण फरक्का समस्या के लम्बे इतिहास और इसकी जटिलता से अवगत हैं। इस करार पर बातचीत के दौरान जो मसले खड़े हुए उनका असर दोनों पक्षों के राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों पर तथा संवेदनशीलता पर पड़ा। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहे थे कि हुगली में बहाव के लिए उपलब्ध पानी तो एक उचित सीमा से कम न हो और साथ ही प्रवाह को संवर्धित करने के लिए ऐसी व्यवस्था हो जाए कि ऊपरी जलधार और नीचे की जलधार की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। बंगलादेश की ओर से यह कहा गया कि उन्हें इस्तेमाल के लिए जितने पानी की जरूरत इस समय होती है वह पूरी होती रहनी चाहिए ताकि भविष्य में देश की पारिस्थितकी और अर्थ-व्यवस्था पर दुष्प्रभाव नहीं पड़े। उनका यह भी कहना था कि पारिस्थितिकी के संतुलन को बनाये रखने के लिए खुश्की के दिनों की अवधि में निम्नतम प्रवाह 55,000 क्यूसेक निर्बाध जारी रहना चाहिए। यह बातचीत अनिवार्यतः जटिल एवं लम्बी हुई ताकि दोनों पक्षों के विषय एवं विरोधी उद्देश्यों में संतुलन बैठाया जा सके।

बातचीत की यह समस्या इस वजह से और भी जटिल हो गई चूंकि तटवर्ती लोगों के अधिकारों से संबंधित अन्तर्राष्टीय कानून अभी संहिताबद्ध होना बाकी है और इसलिए न्यायोचित बटवारे को निश्चय करने के लिए कोई सार्वभौमरूप से स्वीकृत मानदंड अभी नहीं है। विभिन्न देशों ने यद्यपि 1966 के हेलसिंकी नियमों को अन्तर्राष्टीय कानून के एक आदर्श के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया है लेकिन आमतौर से यह माना जाता है कि प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय नदी का क्योंकि अपना अलग स्वरूप होता है इसलिए उसके जल के न्यायोचित वितरण की बात सम्बद्ध तटवर्ती राज्यों के बीच द्विपक्षीय (अथवा बहुपक्षीय बातचीत के माध्यम से ही तय की जा सकती है और इस तरह की द्विपक्षीय बातचीत में प्रत्येक सहभागी तटवर्ती देश के हकों और अधिकारों की ठीक-ठीक मात्रा निश्चित करने के आधार पर कोई समझौता कर पाना संभव नही। बातचीत के माध्यम से किसी समाधान

पर पहुंचना अनिवार्य तौर पर संबद्ध पक्षों द्वारा अपनाई गई दो दूरस्थ स्थितियों के बीच समझौते का प्रयास होता है । प्रस्तुत समस्या में प्रश्न पानी के उपयोग के अलग-अलग प्रयोग और प्राथमिकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने का था। बंगलादेश ने शुरू में जो स्थिति अपनाई वह यह थी कि ऐतिहासिक प्रवाह को कायम रखा जाए जिसका मतलब यह था कि निचले तटवर्ती राज्य को एक प्रकार से ऊपरी तटवर्ती राज्य द्वारा पानी के उपयोग पर वीटो का अधिकार होता। भारत ने शुरू में जो स्थिति अख्तियार की वह यह थी कि उसे 40,000 क्यूसेक का अधिकतम प्रवाह लेने का अधिकार होना चाहिए जिससे कि हुग्ली नदी की सामान्य स्थिति के लिए उसे अधिकतम लाभकारी प्रवाह प्राप्त हो सके और इस प्रकार कलकत्ता बन्दरगाह के परिरक्षण और सुधार के लिए पर्याप्त जलमात्रा प्राप्त हो ।

इसके अतिरिक्त दोनों देशों के हकों की बात तो दूर है, कोई द्विपक्षीय करार मात्र अधिकारों और हकों पर आधारित नहीं हो सकता, खासतौर से इस तरह की परिस्थितियों में जैसी कि गंगा के निचले थाले में है । जहां कमी के दिनों में उनकी जरूरतों को पुरा करने के लायक भी पानी नहीं होता । इसलिए यह जरूरी था कि यह करार सम्मिलित त्याग और पारस्परिक समायोजन के सिद्धांत पर आधारित हो कौर इससे किसी भी देश के अधिकारों और हकों पर बुरा असर न पड़े ।

माननीय सदस्यगण यह भी स्वीकार करेंगे कि इस बातचीत में प्रश्न सिर्फ दो देशों के बीच पानी के बटबारे का ही नहीं था, और न ही इसके प्रवाह को संवर्धित करने का ही, बल्कि इसमें अपने निकटतम पड़ौसी के साथ संबन्ध को बेहतर बनाने की राजनीतिक आवश्यकता सन्निहित थी जोकि हमारी समूची विदेश नीति की प्रभविष्णुता तथा विश्वसनीयता की कठोर परीक्षा है और इस दृष्टि से उन सिद्धान्तों की परीक्षा है जिनके विषय में भारत ने हमेशा यह कहा है कि ये सिद्धान्त राष्ट्रों के संबन्धों के लिए मार्गदर्शक होने चाहियें ।

फरक्का समस्या के संबन्ध में इस सरकार ने जो प्रयत्न किये हैं उसके विषय में उसे ही प्रारम्भ से सब कुछ करने का मौका नहीं मिला था । तत्कालीन पाकिस्तान सरकार ने और बाद में बंगलादेश सरकार ने गंगा के पानी के बटवारे के विषय में उनके साथ समझौता किये बिना फरक्का बराज परियोजना का निर्माण करके उसे शुरू करने का हमारा अधिकार कभी स्वीकार नहीं किया । 1951 से ही, जबकि इस परियोजना के संबन्ध में प्रारंभिक जांच कार्य चल रहा था, अंतरसरकारी परामर्श और वार्ताएं हुई थीं। मई 1974 की सम्मिलित घोषणा में भारत और बंगलादेश के प्रधान मंत्रियों ने इस बात का उल्लेख किया था कि फरक्का बराज 1974 के अंत तक चालू हो जायेगा लेकिन साथ ही वे इस बात पर भी सहमत हुए थे कि इस बराज के चालू होने से पहले गंगा में निम्नतम प्रवाह के दिनों में उपलब्ध पानी के परस्पर स्वीकार्य आवंटन पर सहमति हो जानी चाहिये। इस प्रकार माननीय सदस्यगण यह देखेंगे कि पिछली सरकार ने यह बुनियादी निर्णय पहले ही ले रखा था कि भारत इसमें से पानी तभी लेगा जबकि इस संबन्ध में आवंटन के विषय में बंगलादेश के साथ समझौता हो जाएगा।

यह बराज अप्रैल 1975 में राष्ट्रपति मुजीब की सरकार के साथ समझौता हो जाने के बाद चालू हो गया जिसमें यह व्यवस्था थी कि 21 अप्रैल से 31 मई के बीच की अवधि में भारत 11,000 से 16,000 क्यूसेक के बीच पानी लेगा। दुर्भाग्य से 1975-76 के खुश्क मौसम के लिये कोई समझौता नहीं हो सका। हालांकि भारत सरकार ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि अप्रैल 1975 में जो करार हुआ था वह सिर्फ मई 1975 के अंत तक के लिये बैध था और उस तारीख के बाद पानी लेने का जहां

तक प्रश्न है वह किसी भी तरह बाध्य नहीं, जबकि बंगलादेश सरकार का तर्क यह था कि 21 अप्रैल, से 31 मई के बीच की अवधि के बटबारे में जो पानी उसके हिस्से में आता है उसकी मात्रा अर्थात् 39,000—44,000 क्यूसेक से किसी भी परिस्थिति में नीचे नहीं जानी चाहिये जो कि पिछली सरकार ने बंगलादेश के लिये छोड़ना स्वीकार किया था।

जब 1975-76 के खुश्क मौसम के लिये कोई समझौता नहीं हो सका और भारत ने फीडर केनाल की क्षमता के प्रायः बराबर पानी लेना शुरू कर दिया तो बंगलादेश सरकार ने फरक्का के मामले को अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के कई प्रयास किये और भारत पर इक-तरफा तरीके पानी लेने का आरोप लगाया। इस मसले को इस्तांबूल में हुए इस्लामी सम्मेलन में, कोलंबो के गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में उठाया गया और अन्ततः संयुक्त राष्ट्र महासभा के 31वें अधिवेशन में एक औपचारिक शिकायत के रूप में भी इसे प्रस्तुत किया गया। बंगलादेश सरकार द्वारा प्रस्तुत इस मुद्दे पर महासभा ने विचार समाप्त करते हुए यह सर्वसम्मत बयान स्वीकार किया जिसमें दूसरे निर्णयों के साथ ही यह निर्णय भी शामिल था कि दोनों सरकारें तुरन्त मंत्रि-स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत पुनः प्रारम्भ करें। यह भारत के उस स्थिति के अनुरूप ही था जोकि वह सदा से अख्तियार किये रहा है कि द्विपक्षीय समस्याएं द्विपक्षीय स्तर पर ही सर्वोत्तम ढंग से सुलझाई जा सकती हैं, लेकिन उपयुक्त सर्वसम्मत वक्तव्य ने हमारे ऊपर उद्देश्यपूर्ण ढंग से बातचीत करने का दायित्व टाल दिया। तदनुसार दिसम्बर 1976 और अप्रैल 1977 के बीच मंत्रि-स्तर पर बातचीत के चार दौर हुए। इस बातचीत में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता यानी हमारे रक्षा मंत्री और बंगलादेश के नेताओं के बीच बातचीत किस प्रकार आगे बढ़ी जिसका ब्यौरा अधिकारी स्तर की परवर्ती वार्ताओं में तैयार होना था और तैयार होकर दोनों देशों के बीच एक व्यापक करार में सन्निहित किया जाना था। 30 सितम्बर, 1977 को अधिकारी स्तर की वार्ता के तीसरे दौर के अंत में अंततः एक करार हुआ और उस पर हस्ताक्षर किये गये। इन वार्ताओं से सिर्फ हमारे दोनों देशों के बीच ही नहीं बल्कि, क्योंकि इससे विगत में महासभा का भी ताल्लुक रहा है और खासतौर पर मित्र गुटनिरपेक्ष देशों का, इसलिये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी बहुत आशायें जगी हैं। इस करार को दोनों देशों की दूर-दर्शिता तथा तर्कसंगतता पर आधारित प्रमाण के रूप में सभी देशों ने स्वीकार किया तथा वह इस बात का प्रमाण है कि विकासशील देश किस प्रकार अपने विकास को प्रभावित करने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं।

फरक्का बराज परियोजना का निर्माण मुख्यतः कलकत्ता बंदरगाह की सुरक्षा तथा सुधार के लिए किया गया है। देश का कोई भी व्यक्ति कलकत्ता शहर के लिए इस बंदरगाह के महत्व तथा संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए इसके महत्व को कम नहीं आंक सकता है जिस पर हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग निर्भर करता है। इस करार में फरक्का परियोजना के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वाधिक संभव व्यवस्था है तथा इसके साथ-ही-साथ संकट की स्थिति में बंगलादेश की जरूरतें भी इससे पूरी होंगी।

सदन के सदस्य इस बात से अवगत हैं कि 1960 में अनुमोदित फरक्का बराज परियोजना दस्तावेज सहित अनेक आकलनों पर विचार किया गया कि मार्च के मध्य से मई के मध्य तक 20,000 क्यूसेक तक पानी निकाल लेने पर भी उक्त परियोजना पूर्णतः युक्तिसंगत होगी। इस आंकड़े तथा अन्य आंकड़ों पर तत्कालीन पाकिस्तान सरकार के साथ विचार विनिमय हुए, यद्यपि उससे स्पष्ट रूप से कहा गया कि ये आंकड़े अनंतिम हैं और भावी अध्ययनों तथा मानक परीक्षणों के संदर्भ में उनमें संशोधन होते रहेंगे। सम्पन्न करार में मार्च मई की अवधि में 20,500 से 26,750 क्यूसेक तक पानी निकालने

की व्यवस्था है। इसके साथ-ही-साथ भारत के हिस्से में इसकी उत्तरोत्तर वृद्धि की व्यवस्था है जबकि 25 वर्ष के प्रेक्षित आंकड़े पर आधारित 4 वर्ष में से 3 वर्ष की अवधि में पानी का प्रवाह 55,000 क्यूसेक के न्यूनतम स्तर से अधिक होता है। भारत द्वारा न्यूनतम पानी की निकास मात्रा भी कम-से-कम निकास से दुगुना है जो अप्रैल 1975 के करार के अनुसार अनुमेय थी। इस करार के अंतर्गत भारत 8 महीने के लिए, अर्थात् जून से जनवरी तक, जल-निकास की अधिकतम मात्रा, अर्थात् 35,000 से 40,000 क्यूसेक, प्राप्त करने में भी सफल रहा है। करार में इस बात की भी व्यवस्था है कि बंगलादेश को उसके भाग का 80 प्रतिशत पानी प्रत्येक 10 दिन की अवधि के लिए अवश्य दिया जायेगा। इससे बची हुई 20 प्रतिशत पानी की मात्रा का उपयोग प्रशासनिक सुविधा तथा फरक्का पर पानी के प्रवाह की भिन्नता की दैनिक समस्या को कम करने में मदद मिलेगी।

चूंकि जल-विज्ञान यथार्थ विज्ञान नहीं है इसलिए द्रवगतिकी मानक अध्ययन त्रुटि की नगण्य मात्रा के अंतर्गत पानी के निकास के प्रभाव का अनुमान लगाने में समर्थ नहीं हैं। फिर भी, भारतीय इंजीनियरों द्वारा किये गये मानक परीक्षणों तथा वास्तविक प्रभावों के आदिरूप अध्ययन दोनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि करार में सहमत पानी के निकास की अनुसूची से कलकत्ता बंदरगाह की बिगड़ती हुई स्थिति को संभालने में मदद मिलेगी तथा तलकर्षण, नदी प्रशिक्षण, भू-क्षरण की रोक, आदि जैसे अन्य उपायों से बंदरगाह में सुधार होगा। ऊपरी स्तर पर पानी की अधिकतम आपूर्ति करने के अतिरिक्त इन पूरक उपायों को अपनाने की आवश्यकता फरक्का बरराज परियोजना तैयार करने तथा उसे लागू करने के पूरे समय तक स्वीकार की गई है।

फरक्का बराज से ऊपरी स्तर पर जल आपूर्ति के फलस्वरूप कलकत्ता बंदरगाह के सुधार में समय लगेगा तथा उसे बहुत जल्दी नहीं किया जा सकता। इसी बीच जैसे-जैसे देश में प्रगति हुई है और कृषि आधुनिक होती गई है, वैसे-वैसे गंगा के पानी के उपयोग्य तथा अनुपभोग्य प्रयोग की मांग, विशेषकर सिंचाई के लिए, बढ़ती गई है और भविष्य में उसके और तेजी से बढ़ने की संभावना है। इसलिए किसी दीर्घकालिक योजना द्वारा पानी की उपलब्धता में वृद्धि करने की तर्कसंगत व्यवस्था करना अनिवार्य है ताकि बंगलादेश की आवश्यकता के अलावा हम अपनी ऊपरी जलधारा तथा निचली जलधारा की अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। भारत तथा बंगला दोनों देशों के लिए दीर्घकालिक समाधान समान रूप से महत्व का है और इसे दोनों देशों के सहयोग से ही सर्वाधिक सुकर बनाया जा सकता है। समझौते में दोनों देशों की सरकारें केवल सभी प्राप्य दीर्घकालिक प्रस्तावों के अध्ययन के लिए ही राजी नहीं हुई हैं अपितु ऐसा अध्ययन वे तीन साल के भीतर ही कर लेंगी। करार में अध्ययन की सिफारिशों के आधार पर दोनों सरकारों के लिए सद्भावपूर्वक योजना या योजनाओं के चयन की तथा उसे यथाशीघ्र कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की व्यवस्था है।

इस प्रकार हमने बंटबारे की व्यवस्था के अल्पकालिक उत्सर्ग की बात स्वीकार की है क्योंकि दीर्घकालिक समस्या के समाधान के उपायों से भी यह जुड़ा है। उक्त करार शुरू में 5 वर्ष के लिए वैध है 3 और वर्ष के बाद उसकी समीक्षा का प्रावधान है जिसमें दीर्घकालिक समाधान की दिशा में प्रगति सहित उसके कार्यान्वयन के कार्य संचालन, प्रभाव तथा प्रगति का विचार निहित है।

हमें आशा है कि उक्त करार से न केवल गंगा के प्रवाह की वृद्धि की दीर्घकालिक समस्या का समाधान होगा अपितु उक्त पूरे क्षेत्र के जल-संसाधनों को अधिकतम उपयोग के लिए भी मार्ग प्रशस्त होगा। करार की शर्तों के अंतर्गत संयुक्त नदी आयोग का संवर्धन भारत तथा बंगलादेश में बढ़ते हुए सहयोग के लिए बाढ़-नियंत्रण तथा अन्य समस्या-क्षेत्रों में करना चाहिए ताकि दूसरे पक्ष के हितों पर उसका प्रभाव पड़े।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस करार पर विचार करते हुए हमारे उपमहाद्वीप में व्याप्त, विगत वर्षों के मतभेदों, संदेहों तथा अवरोध पर भी दृष्तिपात करना चाहिए। यह भी याद रखना चाहिए कि भारत ऐसा देश है जो अपनी परम्परा तथा सिद्धान्तों से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर अन्य देशों के साथ सहयोग तथा मैत्री की नीति के प्रति वचनबद्ध है। वर्तमान सरकार यह मानती है कि हमारे विकास तथा हमारी विदेश नीति की प्रभावकारिता के लिए कठोर परीक्षा यह है कि क्या हमें इस उपमहाद्वीप को वमनस्य से मुक्त रखना है या नहीं जिससे हम अपने साधनों को विकास के बुनियादी काम पर तथा देशवासियों के कल्याण पर केन्द्रित करें। अगर हम यह मानते हैं कि भारत का निजी हित उसके पड़ौसी देशों की खुशहाली में है तो हमें ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर प्रयत्न करना चाहिए जो दोनों देशों में विकास को प्रभावित करती हैं।

हम किसी तीसरे देश या पक्ष के संयोग या दखल के बिना द्विपक्षीय वार्ता से फरक्का विवाद को हल करने के लिए भी कृतसंकल्प हैं। द्विपक्षीय बातचीत के जरिए इस करार के होने से और खासकर द्विपक्षीय ढांचे के अंतर्गत मतभेदों तथा विवादों को तय कर हमने यह सिद्ध कर दिया है कि दो नजदीक पड़ौसी देशों के सभी मुद्दे, चाहे वे कितने ही जटिल क्यों न हों, सहत्याग तथा पारस्परिक समायोजना की भावना से द्विपक्षीय रूप में हल किये जा सकते हैं।

जिस दृष्टिकोण और भावना से यह करार संभव हुआ है यदि इसे बंगलादेश के साथ हमारे संबन्धों के वृहत्तर परिप्रेक्ष्य में लागू किया जाए तो यह दोनों देशों के बीच, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मंचों पर, सदैव विकासमान सहयोग की ओर ले जाएगा। इससे महाद्वीप में शांति एवं विकास को संवर्धित करने तथा एक वृहत्तर विश्व व्यवस्था के लिए साथ-साथ काम करने के हमारे लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में भी योगदान मिलेगा ।

विभिन्न उपयोगों के लिए पानी की मांग में संभावित वृद्धि होने से यह स्पष्ट था कि समय बीतने के साथ यह समस्या और भी अधिक पेचीदा एवं जटिल हो जाती । यदि इस दीर्घकालिक समस्या को हल करने के लिए दोनों देशों द्वारा समय पर कार्यवाही नहीं की गई होती तो इसके लिए न केवल बहुत बड़े अवसरों की कीमत चुकानी पड़ती अपितु अल्पकालिक बटवारे की व्यवस्था करना भी अत्यन्त कठिन हो जाता । अतः यदि कोई समझौता करना ही था तो दोनों देशों का समान हित इस कार्य में विलम्ब करने के बजाए इसे जल्दी ही करने में था।

फरक्का समस्या बंगलादेश की एक राष्ट्रीय समस्या रही है जो राजनीतिक दलों और शासकों से परे थी। बंगलादेश के सभी राजनीतिक दल और वर्ग अधिक हिस्सा मांगने और इस विवाद के शीघ्रता से निपटान पर एकमत रहे हैं।

भारत में भी, फरक्का समस्या को दलीय हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए। पिछली सरकार द्वारा किये गए वायदों का सम्मान करते हुए हमने इस करार को अंतिम रूप दिया है। सदन से मेरा निवेदन है कि वे अंतर्दलीय मतभेदों को भुलाकर हमारी विदेशनीति के संपूर्ण लक्ष्य के वृहत्तर परिप्रेक्ष्य में, विशेषरूप से दोनों देशों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, इस करार को स्वीकार करें ।

श्री समर गुहा (कन्टाई) : मेरा एक निवेदन है कि पश्चिम बंगाल में शांति और व्यवस्था के भंग होने का भय है। इसलिये इस विषय पर पूर्ण चर्चा की जाये।

(व्यवधान)

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुरा) : पश्चिम बंगाल सरकार ने इस समझौते पर असंतोष प्रकट किया है और उसका विरोध किया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि इस विषय पर चर्चा के लिए कोई अवसर उपलब्ध हो। लेकिन आप वक्तव्य पर टिप्पणी नहीं कर सकते।

प्रधानमंत्री की सोवियत संघ की यात्रा के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. PRIME MINISTER'S VISIT TO U.S.S.R.

प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन को ज्ञात है, सोवियत संघ की कम्युनिष्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव, सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के प्रधान मंडल के अध्यक्ष महामान्य श्री ब्रेझनेव द्वारा सोवियत नेताओं के निमंत्रण पर मैंने रूस की यात्रा की। मैं भारत से 21 अक्तूबर को रवाना हुआ और 27 अक्तूबर की सुबह वापस लौट आया। रूस में अपने प्रवास के दौरान मैं काला सागर के शहर सोची तथा यूक्रेनियाई सोवियत समाजवाद गणराज्य की राजधानी कीव भी गया। इस यात्रा में विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी भी मेरे साथ थे। इस पूरी यात्रा में हम जहां कहीं भी गये वहीं नयाचार की सामान्य अपेक्षाओं से ऊपर उठकर हमारा अत्यन्त हार्दिक एवं सद्भावपूर्ण स्वागत किया गया।

मास्को में अपने प्रवास के दौरान हमने सोवियत नेताओं से दो बार बातचीत की जिसका नेतृत्व महासचिव श्री ब्रेझनेव ने किया। सोवियत नेताओं के साथ कई बार हमारी अनौपचारिक बातचीत भी हुई। इस विचार-विनिमय में हमने अपने द्विपक्षीय संबन्धों पर तथा विभिन्न अंतराष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर बातचीत की। यद्यपि, इस प्रकार की बातचीत गोपनीय समझी जानी चाहिए क्योंकि उनका स्वरूप ही ऐसा होता है, फिर भी सदन को यह बताने में मुझे कोई संकोच नहीं कि हमारी बातचीत अत्यन्त स्पष्ट तथा मैत्रीपूर्ण हुई। इस बातचीत में यह बात स्पष्ट हुई कि हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझते सराहते हैं और दोनों का यह निश्चय भी प्रकट हुआ कि हम दोनों के बृहत्तर हित में पारस्परिक सम्मान और समानता पर आधारित अपने सहयोग और अपनी मित्रता को सुरक्षित रखकर सुदृढ़ करना चाहते हैं।

मेरे लिए सोवियत संघ की यह पहली यात्रा नहीं थी। मैंने 1960 में मास्को तथा रूस के कुछ अन्य शहरों की यात्रा की थी। अब 17 वर्ष बाद मैंने जिन स्थानों की यात्रा की उनकी आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ।

जब जनता सरकार सत्ता में आई तो बहुतों ने यह सोचा था कि भारत में सरकार बदलने से भारत-रूस संबन्धों को धक्का पहुंचेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते थे: इस यात्रा ने हमारे इस विश्वास की पुष्टि कर दी कि हमारे सामाजिक एवं राजनीतिक पद्धति में और कुछ मामलों में हमारे दृष्किोणों में अंतर होने के बावजूद हमारे संबन्धों को किसी प्रकार का धक्का नहीं पहुंचा है। इसके विपरीत, लाभदायक द्विपक्षीय संबन्धों के संवर्धन के सिद्धान्त के आधार पर भविष्य में दोनों के बीच सहयोग के क्षेत्र में स्वस्थ विकास की संभावनाएं हैं। जैसा कि, राष्ट्रपति ब्रेझनेव तथा मेरे द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा में स्वीकार किया गया है, भारत-रूस संबन्ध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। हमारे संबन्ध ऐसे हैं कि जिनसे किसी राष्ट्र को डरने की जरूरत नहीं क्योंकि यह शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धान्तों पर आधारित है जो सारे विश्व पर लागू होता है।

मैं इस यात्रा का विशेष स्वागत इसलिए करता हूं कि इससे मुझे सोवियत नेताओं से व्यक्तिगत संबन्ध स्थापित करने का अवसर मिला और इस बात में मुझे कोई संदेह नहीं कि हमारे संबन्धों को बनाये रखने में तथा हमारे बीच अगर कभी कोई गलतफहमी पैदा हो तो उसे दूर करने में यह बहुत उपयोगी होगा।